

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन

प्रलिस के ललल:

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, वन्यजीव संरक्षण अधनलनल, 1972, महत्त्वपूरण पक्षी और जैववधलता क्षेत्र, रामसर स्थल, खान एवं खनजल (वलकलस और वनलनलन) अधनलनल, 1957, सतत् रेत खनन परबंधन दशल-नरलदेश 2016 ।

मेन्स के ललल:

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का महत्त्व, भारत में रेत खनन की स्थतलल


चरचा में क्यों?

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का क्षेत्र अवैध रेत खनन गतवलधलतल के कारण खतरे में है जो पारस्थतलकल तंत्र को नुकसान पहुँचा रहा है तथा इस क्षेत्र की वनस्पतलतल और जीवों को खतरे में डाल रहा है ।

- इस समस्यल से नपलटने के ललल जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठकआयोजतल की गई जसलमें संबंधतल तीनों राज्यों के मुख्य सचवलों ने अभयारण्य की रक्षा के ललल समन्वतल परयासों पर चरचा की ।

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का महत्त्व:

- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्र-जंक्शन पर स्थतल है ।
 - यह एक दुर्बल सरतलजीवी (Lotic) पारस्थतलकल तंत्र है, जो घड़यलल- मछली खाने वाले मगरमच्छों के ललल एक महत्त्वपूरण परजनन स्थल है ।
- यह अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण अधनलनल, 1972 के तहत संरक्षतल है और इसे 'महत्त्वपूरण पक्षी और जैववधलता क्षेत्र' के रूप में सूचीबद्ध कयल गया है ।
- अभयारण्य एक प्रस्तावतल रामसर स्थल भी है जसलमें स्थानीय और प्रवासी पक्षतलतल की 320 से अधिक प्रजातलतल पाई जलती हैं ।



भारत में रेत खनन की स्थिति:

परिचय:

- **खान और खनजि (विकास और वनियिम) अधिनियम, 1957** (MMDR अधिनियम) के तहत रेत को "गौण खनजि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और गौण खनजिों पर प्रशासनिक नियंत्रण **राज्य सरकारों** के पास है।
 - नदियाँ और तटीय क्षेत्र रेत के मुख्य स्रोत हैं तथा देश में निर्माण एवं बुनियादी ढाँचे के विकास में वृद्धि के कारण हाल के वर्षों में इसकी मांग में काफी वृद्धि हुई है।
- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने वैज्ञानिक रेत खनन और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये "सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश 2016" जारी किया है।

भारत में रेत खनन से संबंधित मुद्दे:

- **जल की कमी:** रेत खनन से **भुजल भंडार में कमी** आ सकती है और आसपास के क्षेत्रों में जल की कमी हो सकती है।
 - उदाहरण के लिये हरियाणा के यमुना नगर ज़िले में **यमुना नदी** में यांत्रिक गतिविधि, अस्थिर पत्थर एवं रेत खनन से गंभीर खतरे का सामना कर रही है।
- **बाढ़:** अत्यधिक रेत खनन से नदी के तल उथले हो सकते हैं, जिससे **बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है**।
 - उदाहरण के लिये बिहार राज्य में **बालू खनन से कोसी नदी में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है**, जिससे फसलों और संपत्तिको नुकसान होता है।
- **संबद्ध अवैध गतिविधियाँ:** अनियंत्रित रेत खनन में अवैध गतिविधियाँ भी शामिल हैं, जैसे कृषिजनक भूमि पर अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और कर की चोरी।

भारत में खनन क्षेत्र का वधायी ढाँचा:

- भारतीय संविधान की **सूची-II (राज्य सूची)** के क्रम संख्या-23 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनजिों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।
- सूची-I (केंद्रीय सूची) के क्रमांक-54 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर खनजिों पर

नयित्रण रखने का अधिकार है।

- इसके अनुसरण में खान और खनजि (वकिस और वनियिमन) (MMDR) अधनियिम, 1957 बनाया गया था।
- इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) खनजि अन्वेषण और नषिकरण को नयित्त्रति करती है। यह संयुक्त राष्ट्र संधिद्वारा नरिदेशति है एवंइस संधिका पक्षकार होने के कारण भारत को मध्य हदि महासागर बेसनि में 75000 वर्ग कर्मी. से अधिकि क्षेत्र में बहुधात्त्वकि तत्त्वों का पता लगाने का वशिष अधिकार प्रापत है।

नषिकरण:

तीन राज्यों द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई अभयारण्य की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा एवं आने वाली पीढ़ियों हेतु हमारी प्राकृतिक वरिसत को संरक्षति करने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. नमिनलखिति खनजिों पर वचिर कीजयि: (2020)

1. बेंटोनाइट
2. क्रोमाइट
3. कायनाइट
4. सलिमिनाइट

भारत में उपर्युक्त में से कौन-सा/से आधिकारिक रूप से नामति प्रमुख खनजि है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. ततीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। भारतीय तटों पर बालू के प्रभाव का वशिषिट उदाहरणों का हवाला देते हुए वशि्लेषण कीजयि। (2019)

स्रोत: द हदि